कार्यालय जिलाधिकारी,झाँसी।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः–655 / 30एम0एम0सी / ई–निविदा / (स्टोन ब्लास्ट) / 2024–25 दिनांकः 27/09/2024

ई–निविदा आमन्त्रण की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–2595 / 86–2018–12 (सा0) / 2018 भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,उ0प्र0 शासन,लखनऊ दिनाँकः 03.12.2018 मे दिये गये निर्देशों के अनुसार जनपद–झाँसी में भारत सरकार के अतिमहत्वपूर्ण अमृत कार्यकम के अन्तर्गत झाँसी पुनर्गठन पेयजल योजना फेज–2 में 1500 मिमी0 व्यास की क्लीयर वाटर ग्रेविटी मेन पाइप लाइन बिछाने हेतु की गई खुदाई से निकाले 25000.00 घनमीटर पत्थर (स्टोन ब्लास्ट / गिट्टी) साइट पर रखा गया है, जिसमें भण्डारित उपखनिज की मात्रा 10,000.00 घनमीटर अथवा उससे अधिक है, को ई–निविदा प्रणाली के माध्यम से अल्पकालीन परिहार पर स्वीकृत किये जाने के निमित्त उपलब्ध घोषित करते हुए उक्त भण्डारण के लिए सात कार्य दिवस अर्थात् दिनाँकः09/10/2024 के पूर्वान्ह 10:00 बजे से दिनाँकः17/10/2024 के अपरान्ह 05:00 बजे तक ई–टेण्डर पोर्टल **etender.up.nic.in** पर एतद् द्वारा ई–निविदा आंमत्रित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	झाँसी पुनर्गठन पेयजल योजना फेज–2 में 1500 मिमी0 व्यास की क्लीयर वाटर ग्रेविटी मेन पाइप लाइन बिछाने हेतु की गई खुदाई से प्राप्त पत्थर (स्टोन ब्लास्ट/गिट्टी) के स्थल का विवरण					मेन पाइप लाइन बिछाने हेतु की खुदाई से प्राप्त खनिज की मात्रा		न्यूनतम सरकारी बोली की दर (रू0 प्रति घनमीटर)	आधार मूल्य (रुपये मे)	प्री–बिड अर्नेस्ट मनी (EMD) (रुपये मे)
	तहसील	विकास खण्ड	स्थल का विवरण	Geo Co-ordinates Latitude	Longitude	खनिज का नाम	भण्डारित मात्रा (घनमीटर)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सदर	बबीना	झाँसी–ललितपुर हाईवे के किनारे	25°15'02.31" 25°14'59.06" 25°15'04.01"	78°29'32.68" 78°29'35.59" 78°29'38.60"	पत्थर (स्टोन ब्लास्ट / गिट्टी)	14,787.00 10,213.00 25,000.00	160.00	40,00,000.00	20,00,000.00

2– ई–निविदा पत्थर (स्टोन ब्लास्ट / गिट्टी) के प्रति घनमीटर के लिये दी जाएगी जो गिट्टी (बैलास्ट) के लिये नियमावली–2021 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रॉयल्टी की दर रु0 160.00 प्रति घनमीटर से कम नहीं होगी।

3– भण्डारित पत्थर (स्टोन ब्लास्ट / गिट्टी) को हटाने की अवधि अधिकतम 03 माह होगी तथा किसी भी दशा में अवधि का विस्तार नहीं किया जायेगा।

4– पत्थर (स्टोन ब्लास्ट / गिट्टी) के उपरोक्त किसी भण्डार की ई–निविदा में प्रतिभाग करने से पूर्व उक्त तालिका के कॉलम–11 में सम्बन्धित भण्डार के लिए अंकित प्री–बिड अर्नेस्ट मनी (EMD) की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट (जो जिलाधिकारी,झाँसी के पक्ष में देय हो) अग्रिम रुप से जमा करना अनिवार्य होगा।

5– इच्छुक व्यक्ति ई–निविदा मे भाग लेने से पूर्व प्रत्येक भण्डार मे आंकलित उपखनिज पत्थर (स्टोन ब्लास्ट / गिट्टी) की मात्रा, पहूँचमार्ग आदि के लिए मौके का निरीक्षण कर आश्वस्त हो लें। ई–निविदा मे भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध मे किसी प्रकार का दावा स्वीकार नही किया जाएगा।

6– यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश मे ई–निविदा कराने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। ई–निविदा प्रकिया मे भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगीः–

(क) ई–निविदा प्रकिया मे प्रतिभाग करने वाले निविदाकार द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से टाईप–।। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा।

(ख) इच्छुक आवेदक को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से **etender.up.nic.in** पर ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु आवेदक को ई–निविदा **etender.up.nic.in** के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने स्वयं जनित यूजर आई0डी0 व पासवर्ड बनायेंगे।

....2

7– कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय, जो भारतीय हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई–निविदा संलग्न प्रारुप–1 पर प्रस्तुत कर सकता है। ई–निविदाकार को ऑनलाइन निविदा प्रकिया मे प्रतिभाग करते समय **etender.up.nic.in** पोर्टल पर स्वयं की आई0डी0 लॉगिन कर तकनीकी बिड के समय उक्त प्रारुप–1 पर सूचनायें भरकर उसकी स्कैन प्रति एवं निम्नलिखित स्वप्रमाणित अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगाः–

प्रारुप–1 की सूचनायें:–

क– विज्ञप्ति संख्या व दिनाँकः जिसके द्वारा ईमारती पत्थर (ग्रेनाईट) यथा गिट्टी के उक्त भण्डारों विज्ञापित किया गया है।

ख– विज्ञप्ति मे भण्डार का क्रमांक

ग– निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई–मेल एवं मोबाईल नम्बर

घ– गिट्टी के उस भण्डार का विवरण जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गयी हो।

ड.– अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रु0 2,000.00 का ट्रेजरी चालान संख्या व दिनांक।

च– गिट्टी के प्रति घनमीटर के लिए दी जाने वाली दर (जो उस गिट्टी के लिये नियमावली, 2021 के प्रथम अनुसूची मे विनिर्दिष्ट रॉयल्टी की दर से कम नही होगी)।

छ– आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का कमांक।

ज– पैन कार्ड का कमांक।

स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र

क– अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रु0 2,000.00 का ट्रेजरी चालान।

ख– आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र।

ग– पैन कार्ड।

घ– अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट।

8– यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या–7 मे वांछित स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र एवं बैंक ड्राफ्ट की प्रति प्रारुप–1 के साथ अपलोड नही की जाती है तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी। अपलोड किये गये प्रारुप–1 की प्रति, स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र और बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति मे ई–निविदा निरस्त मानते हुए नही खोली जाएगी। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, विज्ञप्ति मे भण्डार का कमांक तथा निविदाकार का नाम व मोबाइल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।

9– निर्धारित अवधि मे प्राप्त ई–निविदाओं को दिनाँकः 18/10/2024 को अपरान्ह 11.00 बजे जिला खनन कार्यालय, झाँसी के सभाकक्ष में ई–निविदा समिति के सदस्यों द्वारा ई–निविदाकारों की उपस्थिति में खोला जायेगा।

10– ई–निविदा समिति की संस्तुति के आधार पर सहमति की दशा मे सर्वोच्च ई–निविदाकार के पक्ष मे जिलाधिकारी द्वारा आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेट) जारी किया जायेगा। उच्चतम ई–निविदा प्रस्तुत करने वाले ई–निविदाकार को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट उन्हे वापस कर दिया जायेगा। सर्वोच्च ई–निविदाकार के मामले मे अर्नेस्ट मनी के रुप मे जमा की गयी धनराशि उनके द्वारा देय कुल धनराशि (सर्वोच्च ई–निविदा की दर X भण्डारित खनिज की मात्रा) मे समायोजित कर लिया जाएगा। सर्वोच्च ई–निविदाकार को शेष धनराशि आशय पत्र प्राप्त करने के 02 कार्य दिवस के अन्दर जमा करना होगा अन्यथा की स्थिति मे सम्बन्धित सर्वोच्च ई–निविदाकार द्वारा अर्नेष्ट मनी के रुप मे जमा धनराशि राज्य सरकार के पक्ष मे जब्त कर ली जायेगी जिसके लिये कोई दावा/प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगा।

....3

11– किसी भण्डार के लिए देय कुल धनराशि (प्राप्त सर्वोच्च ई–निविदा की दर X भण्डारित खनिज की मात्रा) सम्बन्धित सर्वोच्च ई–निविदाकार द्वारा जमा कर दिए जाने के पश्चात् सम्बन्धित भण्डार से निर्धारित अवधि के अन्दर ईमारती पत्थर (ग्रेनाईट) यथा गिट्टी, बोल्डर हटाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित सर्वोच्च ई–निविदाकार के पक्ष में स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा।

12– जिलाधिकारी कोई कारण बताये बिना किसी अथवा सभी ई–निविदाओं को निरस्त कर सकते हैं।

3– ई–निविदा आंमत्रण हेतु ई–निविदा से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं शर्तो की जानकारी ऑनलाईन ई–निविदा पोर्टल "etender.up.nic.in" पर अपलोड कर दिया गया है जिसे सभी सम्बन्धित (इच्छुक निविदादाता) द्वारा देखा जा सकता है। उक्त से संबंधित सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं शर्तो की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में जिलाधिकारी कार्यालय (खनिज अनुभाग),झाँसी से भी प्राप्त की जा सकती है।

14– सफल ई–निविदाकार को देय कुल धनराशि का 2 प्रतिशत आयकर (टी0सी0एस0) के रूप में तथा देय कुल धनराशि का 10 प्रतिशत जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास के रुप मे जमा करना होगा।

15– जब्तशुदा उपखनिजों के उक्त भण्डारों से उपखनिज को हटाने (विक्रय व परिवहन करने) हेतु अनुज्ञा–पत्र निर्गत किये जाने के लिए चयनित आवेदक को नियमानुसार देय स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

पत्रांक व तद्दिनांक
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव,भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,उ0प्र0 शासन,लखनऊ।
2. निदेशक,भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,उ0प्र0,खनिज भवन,लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक यू0पी0 इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
4. निदेशक,सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, लखनऊ।
6. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक,झाँसी।
7. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,क्षेत्रीय कार्यालय,झाँसी।
8. सम्बन्धित थानाध्यक्ष, जनपद–झाँसी।
9. जिला सूचना अधिकारी, झाँसी को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
10. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, झाँसी को जनपद झाँसी की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. प्रभारी अधिकारी (नजारत), कलेक्ट्रेट, झाँसी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

जिलाधिकारी,
झाँसी।

प्रारूप– 1

ई–निविदा प्रकिया हेतु प्रपत्र

महत्वपूर्ण–किसी प्रकार के कंटिग/ओवरराइटिंग पर नीलामी बोली निरस्त की जा सकती है।

1	विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो	
2	विज्ञप्ति में भण्डार का क्रमांक	
3	ई–निविदाकार का नाम	
4	ई–निविदाकार के पिता का नाम	
5	स्थायी पता	
6	वर्तमान पता	
7	मोबाइल नम्बर	
8	ई–मेल आईडी	
9	जिस भण्डार के लिए ई–निविदा दी जानी है उसका विवरण, (क) उपखनिज–ईमारती पत्थर(ग्रेनाईट)यथा गिट्टी,बोल्डर/स्टोन डस्ट (ख) जनपद – झाँसी (ग) तहसील – (घ) ग्राम– (ड़) आराजी संख्या–	
10	आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र संख्या	
11	पैन कार्ड नम्बर	
12	गिट्टी/बोल्डर/स्टोन डस्ट के प्रति घन मीटर के लिए दी जाने वाली दर (जो उस गिट्टी के लिये नियमावली,2021 के प्रथम अनुसूची मे विनिर्दिष्ट रॉयल्टी की दर से कम नही होगी)।	
13	अर्नेस्ट मनी की धनराशि **(भण्डार में आंकलित मात्रा को नियमावली, 2021 के अनुसूची–1 में गिट्टी के लिए प्रचलित रायल्टी की दर रु0 160.00 प्रति घनमीटर से गुणा करने पर प्राप्त धनराशि का 50 प्रतिशत)** के बैंक ड्राफ्ट का विवरण	

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सही व सत्य है। कोई सूचना छिपायी नही गयी है तथा मैं ई–निविदा आमत्रण प्रपत्र की समस्त शर्तो को स्वीकार करता हूँ।

दिनांक–

निविदाकार के हस्ताक्षर

Signature Not Verified

Digitally signed by BHUPENDRA CHANDRAMA YADAV
Date: 2024.10.03 16:30:33 IST
Location: Uttar Pradesh-UP